प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर0पी0डी0 पब्लिक स्कूल एकौनी
पेसारा मुफ्तीगज जौनपुर

पत्रांक / मान्यता / 9903 /2017–18 दिनांक 30/3/2018

विषय : नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या / संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग–6 आदेश संख्या –419 / 79–6–2013 –18(20) / 91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 29.03.2018 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार / निर्णय के प्रति निर्देश से आर0पी0डी0 पब्लिक स्कूल एकौनी पेसारा मुफ्तीगज जौनपुर को 30.03.2018 से 29.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है –

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।

2– विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधो का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेंगा, और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेंगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

- प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसके विद्यालय में निष्कासित नही किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:श्वक्श्ता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
- अध्यापको की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
- अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है।
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन–क्रिया कलापो में नियोजित नही करेंगें ।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है –'

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ।
कुल निर्मित क्षेत्रफल ।
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल ।
कक्षाओ की संख्या ।
प्राध्यापक–सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष ।
बालको और बालिकाओ के पृथक शौचालय ।
पेय जल सुबिधा ।
मीड–डे–मील पकाने के लिए रसोई ।
बाधा रहित पहुच ।
अध्यापन पठन सामाग्री / कीडा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता ।

9– विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये और नही चलाई जायेंगी।

10– विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओ के प्रयोजनाओ के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह का संगम या किसी अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओ की किसी चाटर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए । और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **x** है । कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय –समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के शतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17– संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18– मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात /अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

19– विद्यालय संचालन मे आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन किया जायेगा ।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

पृ०सं० /मान्यता / /2017–18 दिनांक–उक्तवत ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।

3– खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड /नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित [illegible] तंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 [illegible] निर्धारित मानको की पूर्ति करता है अन्यथा [illegible] स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

4– कार्यालय प्रति ।

(राजेन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।